न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः विकास सीतारामजी भाले, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 19/2014 अपील (GCMS/2014/00001)
पंजीयन दिनांक - 01.09.2014
निर्णय दिनांक - 02.03.2021

1. श्रीमती सुशीला देवी पत्नि श्री मीठालाल, पुत्री स्व. श्री खेमराज नागदा, निवासी आकोदडा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द।

-अपीलार्थी

बनाम

1. श्री दयालाल पिता स्व. श्री खेमराज नागदा, निवासी 60, ताम्बावती मार्ग, आयड़, उदयपुर।
2. श्री यशवन्त पिता स्व. श्री खेमराज नागदा, निवासी 60, ताम्बावती मार्ग, आयड़, उदयपुर।
3. श्री देवेन्द्र पिता स्व. श्री खेमराज नागदा, निवासी 60, ताम्बावती मार्ग, आयड़, उदयपुर।
4. श्रीमती भंवरी देवी पत्नि श्री भंवरलाल नागदार, निवासी पंचमुखी गणेश के पास, हाथीपोल, उदयपुर।
5. सरकार जरिये तहसीलदार, गिर्वा, उदयपुर।

-प्रत्यर्थी

उपस्थिति दौराने बहसः-
1. श्री हनुमान प्रसाद शर्मा - वकील अपीलार्थी
2. श्री अरूण व्यास, लोकेश मेनारिया - वकील प्रत्यर्थी-4

प्रकरण संख्या-23/2012, में श्रीमती सुशीला देवी बनाम श्री दयालाल नागदा व अन्य में न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.03.2014 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा-76 भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 02.03.2021

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा प्रकरण संख्या-23/2012, में श्रीमती सुशीला देवी बनाम श्री दयालाल नागदा व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 25.03.2014 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-

- अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर समक्ष तहसीलदार, गिर्वा द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या-791 दिनांक 25.03.2013 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा-75 राजस्थान

भू-राजस्व अधिनियम के पेश की और कथन किया कि मौजा पारड़ा, पटवार हल्का मादड़ी पुरोहितान के आराजी संख्या-699, 700, 701 मीन, 703 मीन, कुल किता 4 रकबा 0.3850 है. भूमि अपीलान्ट एवं प्रत्यर्थीगण के पिता श्री खेमराज के खाते दर्ज थी। उनकी मृत्यु के उपरान्त विरासत का नामान्तरकरण अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थीगण के नाम दर्ज होना चाहिए था परन्तु प्रत्यर्थीगण द्वारा पिता की मृत्यु के उपरान्त वसीयत का हवाला देते हुए अपने नाम पर नामान्तरकरण स्वीकृत करा लिया। अपीलान्ट श्री खेमराज की प्राकृतिक वारिस है जिसे सुनवाई का मौका नहीं दिया गया और जांच भी नहीं की गई। ऐसे में नामान्तरकरण संख्या-791 निरस्त किया जाना आवश्यक है।

- अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा निर्णय दिनांक 25.03.2014 से निर्णय पारित किया कि ''**वादग्रस्त भूमि तहसीलदार गिर्वा की रिपोर्ट अनुसार स्वर्गीय श्री खेमराज जी को जागीर से प्राप्त हुई जो प्रस्तुत नजीर अनुसार स्वअर्जित सम्पत्ति है। अपीलान्ट द्वारा भी अपने भाईयों के पक्ष में रीलीज डीड सम्पादित कर दी गई है। स्व. श्री खेमराज जी द्वारा भी वसीयत सम्पादन वर्ष 1982 में रजिस्टर्ड वसीयत कर दी गई थी जो उनके 100 वर्ष पूर्ण होने पर ही प्रभावित हुई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है। नामान्तरकरण की कार्यवाही एक** (summary proceeding) **संक्षिप्त कार्यवाही है एवं इसमें किसी खातेदार के हक व अधिकार तय नहीं किये जा सकते है प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गिर्वा द्वारा जो प्रश्नगत नामान्तरकरण सं. 791 दिनांक 25.03.13 स्वीकृत किया गया है वह विधि सम्मत होकर उसमें कोई त्रुटि नहीं पायी जाती है। अतः अपील अपीलान्ट साबित नहीं होने से खारिज की जाती है।**''

अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.03.2014 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर में अपील दिनांक 25.03.2014 को प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-5 मयाद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर निर्णय आरक्षित रखते हुए दिनांक 01.09.2014 को अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील अपीलार्थी, वकील रेस्पोडेंट-4 उपस्थित होकर लिखित बहस प्रस्तुत करने का कथन किया, जिन्होनें लिखित बहस निर्णय से पूर्व प्रस्तुत की। अन्य प्रत्यर्थीगण बावजुद सूचना अनुपस्थित।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए लिखित बहस में प्रस्तुत किया है कि विवादित भूमि अपीलान्ट एवं प्रत्यर्थीगण के पिता श्री खेमराज के खाते दर्ज थी। उनकी मृत्यु के उपरान्त विरासत का नामान्तरकरण अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थीगण के नाम दर्ज होना चाहिए था परन्तु प्रत्यर्थीगण द्वारा पिता की मृत्यु के उपरान्त वसीयत का हवाला देते हुए अपने नाम पर नामान्तरकरण स्वीकृत करा लिया। अपीलान्ट श्री खेमराज की प्राकृतिक वारिस है जिसे सुनवाई का मौका नहीं दिया गया और जांच भी नहीं की गई। आलौच्य नामान्तरकरण देखने पात्र से पटवारी द्वारा खोला गया क्योंकि नामान्तरकरण पर प्रमाणित शब्द नीचे 3 आकर के जिसके हस्ताक्षकर है पता नहीं चलता है, न तहसीलदार की कोई छाप लगी हुई, संभवतया नामान्तरकरण पटवारी हल्का द्वारा अपने स्तर पर खोला गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों एवं न्यायिक दृष्टान्तों पर विचार विमर्श किये बिना अविधिक निर्णय पारित किया जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया उस निर्णय की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 16.06.2014 को हुई क्योंकि इस निर्णय से पूर्व काफी बार अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में जाकर पता किया जाता रहा, लेकिन हर बार यह कहा जाता कि पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हुए, हस्ताक्षर होते ही सूचित कर दिया जावें। अपीलान्ट हो हस्ताक्षकर की सुचना प्राप्त होते ही नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की गई जिसमें हुई देरी को क्षम्य करने बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-5 मयाद अधिनियम का अपील के साथ पेश किया गया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय यथावत रखे जावें।

विद्वान वकील प्रत्यर्थी-4 ने लिखित बहस में प्रस्तुत किया है कि आलौच्य नामान्तरकरण तहसीलदार द्वारा रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर विधि सम्मत तरिके के स्वीकृत किया गया है। अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी के पिता स्व.श्री खेमराज जी द्वारा अपनी स्वअर्जित सम्पत्ति को वर्ष 1982 में जरिये पंजीकृत वसीयत से प्रत्यर्थी संख्या-1 से 3 के पक्ष में वसीयत कर दी थी एवं वसीयतकर्ता की मृत्यु उपरान्त वसीयत प्रभावित हो वसीयत के आधार पर तहसीलदार गिर्वा द्वारा नामान्तरकरण खोला गया। उक्त तथ्य बाबत अधीनस्थ न्यायाल ने तहसीलदार गिर्वा से सम्पत्ति स्वअर्जित थी अथवा नहीं इस बाबत रिपोर्ट भी मंगवाई थी। साथ ही स्व. श्री खेमराजी की मृत्यु उपरान्त अपीलार्थी द्वारा अपना हक हिस्सा भी प्रत्यर्थी-1 से 3 के पक्ष में जरिये पंजीकृत रिलीज डीड के रिलीज कर दिया जब एक बार पक्षकार द्वारा अपना हक व हिस्सा त्याग कर दिया गया जो उसे पुनः चुनौती देने का कोई विधिक अधिकार नहीं है, वह अपने कृत्य से विबंधित है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में एवं विभिन्न न्यायिक निर्णय में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि नामान्तकरण की कार्यवाही संक्षिप्त कार्यवाही है जिसमें अधिकार व हक तय नहीं किये जा सकते है। यदि अपीलार्थी इसमें कोई हक व अधिकार रखता है तो उसे सक्षम न्यायालय में

चाराजोही कर वांछित दाद प्राप्त करनी चाहिए। उक्त प्रकरण में जब प्रत्यर्थी के पक्ष में जहां एक पंजीकृत वसीयत व रिलीज डीड है तो उसकी विद्यमानता को इस संक्षिप्त प्रक्रिया में नजरअंदाज किये जाने का कोई कारण व आधार नहीं है। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील जो अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के करीब 4 माह बाद प्रस्तुत की गई, जो मयाद बाहर होकर इसी बिन्दु पर निरस्त योग्य है जो कारण अपील व मयाद प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत किये है वह मात्र बनावटी होकर अपील को अन्दर मयाद शुमार मानने के लिए प्रस्तुत किये है, जिनका कोई ठोस आधार नहीं है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जो अपील प्रस्तुत की गई थी वो भी मयाद बाहर थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी अपने निर्णय में इन विधिक स्थितियों का विस्तृत वर्णन करते हुए तर्कसंगत व्याख्यान किया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी खारिज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावें।

हमने उपस्थित अधिवक्ताओ द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं न्यायालय हाजा की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रकट विभिन्न तथ्यों का गहनता से अध्ययन किया।

यहा सवप्रर्थम मयाद के बिन्दु पर भी विवेचन किया जाना उचित होगा। अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम में ऐसा कोई ठोस युक्तियुक्त कारण नहीं बताया है, जिसके आधार पर अपील प्रस्तुत नहीं करने के क्या पर्याप्त और औचित्यपूर्ण कारण रहे है। विधिक प्रावधानों अनुसार विलम्ब हेतु प्रत्येक दिवस के क्या कारण रहे है, स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। विभिन्न न्यायालयों द्वारा कई मामलों में यह दृष्टांत प्रतिपादित किये है कि अपीलार्थी द्वारा अपील दायर करने में हुई देरी बाबत औचित्यपूर्ण, सत्य, विश्वसनीय एवं संतोषजनक कारण प्रस्तुत करते हुए न्यायालय को संतुष्ट किया जाना आवश्यक होता है, ऐसा नहीं होने की स्थिति में मयाद को कण्डोन नहीं किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा मयाद कण्डोन किये जाने बाबत जो कारण प्रस्तुत किये है, वह संतोषप्रद एवं पर्याप्त नहीं है। विलम्ब की देरी हेतु प्रत्येक दिन का कारण बताया जाना आवश्यक है। हस्तगत प्रकरण में देरी को उपशमन करने का कोई न्याय संगत आधार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर आलौच्य निर्णय दिनांक 25.03.2014 से सम्बन्धित पत्रावली के परिक्षण से यह स्पष्ट है कि वर्तमान अपील के अपीलार्थी द्वारा ही अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपील प्रस्तुत की गई और उनकी बहस सुनते हुए आलौच्य निर्णय पारित किया गया। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी को आलौच्य निर्णय की आरम्भ से ही जानकारी थी। आलौच्य निर्णय से अपीलार्थी को ससमय जानकारी थी, परन्तु उनके द्वारा कोई कार्यवाही निर्धारित समयावधि में नही की गई। निर्णय की सटीक जानकारी हेतु रेकर्ड से परे जाकर अभिवचन कथन करना/वर्णित करना कदापि औचित्यपूर्ण नहीं है तथा इस प्रकार से बिलम्ब को उपशमन किये जाने के लिए

कोई पर्याप्त उचित कारण नहीं है ऐसी अपील जो निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं की गई, विधि सम्मत नहीं है एवं खारिज योग्य है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच पाता हूँ कि अपीलार्थी द्वारा हाजा न्यायालय समक्ष असत्य, मनगढ़त, अविश्वसनीय एवं बनावटी कारण अंकित करते हुए देरी से प्रस्तुत की गई अपील को अंदर मयाद शुमार कराने हेतु प्रार्थना पत्र मय असत्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिसे खारिज किया जाना न्यायोचित है।

हस्तगत प्रकरण में हम न्यायहित में गुणावगुण पर विवेचन किया जाना उचित समझते हुए अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं न्यायालय हाजा की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रकट विभिन्न तथ्यों का गहनता से अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर वसीयत एवं पंजीकृत हक त्याग की प्रति उपलब्ध है जिनका उप पंजीयक समक्ष पंजीयन किया गया है। वसीयत की वैधता के सम्बन्ध में कोई अंतिम निष्कर्ष देना राजस्व न्यायालय के लिये नामान्तरकण की संक्षिप्त कार्यवाही में संभव नहीं है। नामान्तरकरण कोई हित या स्वामित्व उत्पन्न नहीं करती है। नामान्तरकरण की संक्षिप्त कार्यवाही में उत्तराधिकार का जटिल प्रश्न, वसीयत या गोद के जटिल विवाद्यक का विनिश्चय किया जाना संभव नहीं है। स्वामित्व व स्वत्व की घोषणा घोषणात्मक वाद में ही की जा सकती है। अतः स्वामित्व स्थापित करने के लिये अपीलार्थी को सक्षम न्यायालय में घोषणा का दावा करना चाहिये। हम इस तथ्य का भी समर्थन करते है कि पंजीयन होना वसीयत दस्तावेज के अस्तित्व को साबित करता है, उसकी सदभाविकता को नहीं। जब तक उक्त वसीयत की सद्भाविकता को धारा-63 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, (एसआईसी) 1925 के प्रावधानों के अनुसार साबित नहीं कर दिया जाता है, तब तक उससे वसीयत के लाभार्थी को प्राकृतिक वारिसान के विरूद्ध कोई हक नहीं मिल सकता है और नामान्तरकरण की संक्षिप्त कार्यवाही में यह संभव नहीं है। इसके लिये वसीयत के लाभार्थी को सक्षम न्यायालय में नियमित वाद प्रस्तुत करके अपने अधिकारो की घोषणा कराने होगी। परन्तु हस्तगत प्रकरण में एक अन्य पंजीकृत दस्तावेज ओर उपलब्ध है वह एक 'परित्याग पत्र' है जिसके अनुसार अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी-4 द्वारा प्रत्यर्थीगण-1 से 3 के पक्ष में विवादित भूमि में अपना हिस्सा दिनांक 27.12.2007 को परित्याग कर दिया, जिसके अनुसरण में आलौच्य नामान्तरकरण पारित किया गया। यहा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा-115 विबधं के सिद्धान्त की विवेचना किया जाना आवश्यक है। धारा-115 अनुसार ''विबन्ध-जबकि एक व्यक्ति ने अपनी घोषणा, कार्य या लोप द्वारा अन्य व्यक्ति को विश्वास साशय कराया है या कर लेने दिया है कि कोई बात सत्य है और ऐसे विश्वास पर कार्य कराया या करने दिया है, तब न तो उसे और न उसके प्रतिनिधि को अपने और ऐसे व्यक्ति के, या उसके प्रतिनिधि के बीच वाद या कार्यवाही में उस बात की सत्यता का प्रत्याख्यान करने दिया जायेगा।'' हस्तगत प्रकरण में अपने हिस्से का परित्याग करने के उपरान्त आलौच्य

नामान्तरकरण पारित किया गया जिसके उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एवं न्यायालय हाजा समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपीलार्थी द्वारा स्वीकारोत्ति के रूप में नामान्तरकरण सम्बन्धी कार्यवाही सम्पादित की गई। ऐसी स्थिति में विलम्ब से प्रस्तुत अपील के द्वारा तत्समय की स्वीकारोत्ति और नामान्तरकरण आदेश से पूर्व किए गए अपने कथनों और उनकी सत्यता का प्रत्याख्यान नहीं किया जा सकता है। विलेख विबन्ध को यह नियम है कि यदि कोई व्यक्ति किसी तथ्य के बाबत विलेख द्वारा दूसरे व्यक्ति को वचन देता है तब वह व्यक्ति स्वयं या उसके माध्यम से कोई व्यक्ति यदि दावा दायर करता है उसको उन तथ्यों का प्रत्याख्यान नहीं करने दिया जावेगा। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत प्रकरण में अपीलार्थी पर विबंध के सिद्धान्त लागू होते है। यहा यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी द्वारा परित्याग पत्र को निरस्त कराने सम्बन्धित किसी भी सक्षम न्यायालय में कोई कार्यवाही की गई हो तो ऐसा कोई दस्तावेज न्यायालय हाजा समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। यह भी प्रावधित है कि किसी भी पंजीकृत दस्तावेज की सत्यता एवं प्रमाणिकता साबित करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय हो नहीं है, इस सभी दस्तावेजों की प्रमाणिकता एवं सत्यता निर्धारित करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को ही है। ऐसी स्थिति में आलौच्य नामान्तरकरण पारित करने में कोई विधिक त्रुटि प्रथम दृष्टया प्रकट नहीं होती है।

जहां तक अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये जाने का प्रश्न है, यह मान भी लिया जाये की तहसीलदार द्वारा उसे अवसर प्रदान नहीं किया गया परन्तु अपीलीय न्यायालयों समक्ष उसे पर्याप्त सुनवाई के अवसर प्रदान किये गये फिर भी अपीलार्थी आलौच्य आदेशों में किये विवेचन का सफलतापूर्वक खण्डन करने के असफल रहा है। हमारी सुविचारित राय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष पक्षकारान द्वारा उठाये गये सभी बिन्दुओं पर पुरी तरह गौर किया एवं तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति का विवेचन करते हुए और पर्याप्त कारण अंकित करते हुए आलौच्य निर्णय पारित किया है, ऐसे तर्कसगत एवं विधिसम्मत निर्णय में हम कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.03.2014 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ निर्णय की प्रति प्रेषित की जावें।

निर्णय सुनाया गया।

(विकास सीतारामजी भाले)
संभागीय आयुक्त, उदयपुर